



Form no III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम निम्बाहेडा
शांतिलाल पिता तरिशम जी गुजर बनाम राजा सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा,
किरम मुकदमा प्रार्थना पत्र मु.न. 41 रान 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम
	<p>पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेशकार सरकार उपस्थित। पक्षकाशन की बहस सुनी गई। बहस में प्रकट तथ्यों व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 500/-रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी व प्रार्थी की भूमि से लगे हुए सभी पड़ोसी खातेदारों को सूचना-पत्र जारी करते हुए उनकी उपस्थिति में, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में तथा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी आराजियात वाके मौजा अहीरपुरा पटवार हल्का बड़ौलीघाटा तहसील निम्बाहेडा में खाता संख्या 142 की आराजी नंबर 57 रकबा 0.9900 हैक्टयेर, आराजी नंबर 63 मीन रकबा 0.6700 हैक्टयेर, आराजी नंबर 83 रकबा 0.4000 हैक्टयेर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 2.0600 हैक्टयेर एवं खाता संख्या 103 की आराजी नंबर 59 मीन रकबा 0.5700 हैक्टयेर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगद्दी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगद्दी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्थरगद्दी हुकमनामा/आदेश सारे इजलास सुनाया जाकर अलग से कम्प्युटरराईज्ड करा शा.फा. किया गया जिसकी प्रति तहसीलदार निम्बाहेडा को पालनार्थ भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा </p>	<p>no-objection</p> <p style="text-align: center;">  <hr/> </p>

